मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 396] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई 2010—श्रावण 7, शक 1932

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2010

क्र. 16019-वि:स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 29 जुलाई, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१०

मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, २०१०

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

२. परिभाषाएं.

३. नियंत्रक की नियुक्ति.

४. नियंत्रक की शक्तियां.

५. नियंत्रक के कृत्य.

६. विक्रेता के लिये अनुज्ञप्ति.

७. राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला.

८. कृषकों को प्रतिकर.

९. बीज निरीक्षक.

१०. बीज विश्लेषक.

११. बीज विश्लेषक की रिपोर्ट

१२. मूल्य नियत करने की शक्ति.

१३. शास्ति.

१४. कंपनियों द्वारा अपराध.

१५. अपराधों का संज्ञान.

१६. सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१७. अपील.

१८. कपास बीज का समपहरण

१९. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.

२०. छूट.

२१. नियम बनाने की शक्ति.

२२. कठिनाई दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २२ सन् २०१०

मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, २०१०.

कपास बीज की पूर्ति, वितरण एवं विक्रय को विनियमित करने तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण करने और उससे संबंधित तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) अधिनियम, २०१० है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सस्य विज्ञान कार्य" से अभिप्रेत है, लेबल पर उत्पादक द्वारा यथा दावाकृत, कार्य के मूल्यांकन के लिये विचार में ली गई किसी कपास बीज की किस्म का विशेषणीय सस्य-गुणात्मक और मात्रात्मक विशेषताएं;

(ख) "नियंत्रक" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन शासन द्वारा नियुक्त किया गया कपास बीज नियंत्रक;

(ग) "कपास बीज" से अभिप्रेत है किसी भी किस्म का बीज और उसमें सम्मिलित है बुआई के लिये उपयोग की जाने वाली परानुवांशिक और आनुवांशिक रूप से रूपांतरित बीज किस्में;

(घ) "कृषक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो या तो स्वयं के द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भूमि पर खेती द्वारा कपास की फसल उगाता है, किन्तु इसमें ऐसे व्यक्ति, कम्पनियां, व्यापारी और डीलर सम्मिलित नहीं होंगे जो वाणिज्यिक उपार्जन और बीजों के विक्रय में लगे हुए हैं;

(ङ) "मिथ्या छापवाले" से अभिप्रेत है कोई बीज, मिथ्या छापवाला समझा जाएगा,—

(एक) यदि वह अन्य किस्म से उस बीज का प्रतिरूप है या उसका इस प्रकार समरूप है कि उसमें बीज की उस अन्य किस्म का धोखा हो सकता है जिसके नाम से वह बेचा गया है, और इस पर इस प्रकार सुस्पष्ट और सहज दृश्य रूप में लेबल नहीं चिपकाया गया है जिसमें कि उसकी सही प्रकृति का संकेत मिल सके; या

(दो) यदि उसके किसी स्थान या देश की उपज होने का मिथ्या कथन किया गया है; या

(तीन) यदि यह ऐसे नाम से विक्रय किया गया है जो कि बीज के किसी दूसरे प्रकार या किस्म से संबंधित है; या

(चार) यदि इसके लेबल पर या अन्यथा झूठे दावे किए गए हैं; या

(पाँच) यदि वह किसी ऐसे पैकेज में बेचा गया है जो डीलर द्वारा या उसके अनुरोध पर सील किया गया या तैयार किया गया है, और जिस पर उसका नाम तथा पता है, प्रत्येक पैकेज की अन्तर्वस्तुओं का उसके बाहरी भाग पर इस अधिनियम के अधीन विहित की गई हेरफेर की सीमाओं के भीतर स्पष्टतः और सही-सही कथन नहीं किया गया है; या

(छह) यदि, पैकेज जिसमें यह अंतर्विष्ट है या पैकेज के लेबल पर उसमें अंतर्विष्ट कपास बीज की गुणवत्ता के संबंध में कोई ऐसा कथन, आकृति (डिजाइन) या युक्ति दी गई है, जो कि किसी भी रीति में मिथ्या या भ्रामक है; या

(सात) यदि, यह इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अपेक्षित रीति में रजिस्ट्रीकृत नहीं है; या

(आठ) यदि इसके लेबल पर ऐसी कोई चेतावनी या सावधानी अन्तर्विष्ट नहीं है जिसको कि यदि कार्यान्वित किया जाए, मानव और पशुओं के प्रति जोखिम के निवारण के लिए आवश्यक और पर्याप्त हो; या

(नौ) यदि उस पैकेज पर जिसमें यह अन्तर्विष्ट है या पैकेज के लेबल पर, या उसके प्रकार या किस्म के डीलर के रूप में किसी काल्पनिक व्यक्ति या कम्पनी का नाम है; या

(दस) यदि उस पर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षा के अनुरूप लेबल नहीं लगाया गया है;

(च) "उत्पादक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, फर्म, कम्पनी या संगठन जो कपास बीज उगाता है या कपास बीज के उत्पादन का प्रबंध करता है;

(छ) "अप्रमाणिक बीज" से अभिप्रेत है वह बीज जो अपने प्रकार का वास्तविक या सही बीज नहीं है;

(ज) "राज्य परामर्श बीज परीक्षण प्रयोगशाला" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा स्थापित या इस रूप में घोषित प्रयोगशाला;

(झ) "अमानक बीज" से अभिप्रेत है ऐसे कपास बीज जो कपास बीज़ के लिए विहित बीज मानकों की पूर्ति नहीं करते हों;

(ञ) "परानुवांशिक किस्म" से अभिप्रेत है आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के माध्यम से आनुवांशिक संघटन के उपांतरण या परिवर्तन द्वारा संश्लेषित या विकसित बीज या रोपण सामग्री; और

(ट) "किस्म" से अभिप्रेत है निम्नतम ज्ञात श्रेणी के एकल वानस्पतिक वर्गीकरण (टेकसॉन) के भीतर सूक्ष्म-शरीर रचना को छोड़कर एक पादप समूहीकरण, जो कि :

(एक) उस पादप समूहीकरण के जीनोटाईप के परिणामस्वरूप, विशेषताओं की अभिव्यक्ति द्वारा परिभाषित किया जा सकता है;

(दो) उक्त विशेषताओं में से कम से कम एक ही अभिव्यक्ति द्वारा किसी अन्य पादप समूह से अलग किया जा सकता है; और

(तीन) उत्पन्न किए जाने के लिए उसकी उपयुक्तता के संबंध में एक ऐसी इकाई के रूप में समझी जा सकती हो जो उसकी इस प्रकार उत्पत्ति के पश्चात् अपरिवर्तित रहती है और उसमें ऐसी किस्म उत्पन्न करने वाले पदार्थ, विद्यमान किस्म, परानुवांशिकी किस्म, कृषक की किस्म तथा वास्तविक रूप से उत्पन्न किस्म सम्मिलित है.

३. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक अधिकारी को कपास बीज नियंत्रक के रूप में नियुक्त कर सकेगी. नियंत्रक की नियुक्ति.

४. (१) राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, नियंत्रक, जहां तक कि कपास बीज की पूर्ति या वितरण या विक्रय को विनियंत्रित करने, बनाए रखने या उसे बढ़ाने के लिये उसे ऐसा करना आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो, लिखित में आदेश द्वारा,— नियंत्रक की शक्तियां.

(क) कपास (काटन) बीज का स्टॉक रखने वाले किसी व्यक्ति से उसे सम्पूर्ण या उसके विनिर्दिष्ट किए गए भाग को ऐसी कीमतों पर जैसी कि समय-समय पर शासन द्वारा नियत की जाएं और ऐसे व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियों में जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, विक्रय करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) कपास बीज की पूर्ति, वितरण और विक्रय में लगे हुए किसी व्यक्ति से उसके द्वारा समय-समय पर विक्रय या वितरित किए जाने वाले कपास बीज की किस्म, गुणवत्ता या मात्रा के बारे में ऐसे निदेशों का, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, पालन करने की अपेक्षा कर सकेगा.

(२) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (१) के अधीन आदेश जारी किया गया है, किसी ऐसी संविदा या अन्य लिखत में, जिसमें कि वह एक पक्षकार है, किसी असंगत बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, ऐसे आदेश का अनुपालन करेगा.

५. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया नियंत्रक निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :— नियंत्रक के कृत्य.

(क) उत्पादन पहलुओं और संचालन क्षेत्रों आदि को सम्यक् रूप से उपदर्शित करते हुए कपास के व्यवसाय में लगी कपास बीज फर्मों को अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण करने की व्यवस्था करेगा;

(ख) कृषकों को प्रतिकर का भुगतान किए जाने की व्यवस्था करेगा;

(ग) अनिवार्य डी. एन. ए. अंगुली छाप परीक्षण (डी. एन. ए. फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट) या आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण (जेनेटिक प्युरिटी टेस्ट) द्वारा कपास बीज के विक्रय के विनियमन से संबंधित मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देगा; और

(घ) ऐसे अन्य मामले जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं.

६. (१) कपास बीज के विक्रय का व्यवसाय करने की इच्छा रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, नियंत्रक को, अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु ऐसे प्ररूप में आवेदन करेगा जो कि विहित किया जाए. विक्रेता के लिए अनुज्ञप्ति.

(२) ऐसे आवेदन के साथ ऐसी फीस और ऐसे अन्य दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे जैसे कि विहित किए जाएं.

(३) नियंत्रक, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे, आवेदन को या तो स्वीकार करेगा या उसे निरस्त करेगा.

(४) यदि नियंत्रक आवेदन को स्वीकार करता है, तो वह ऐसे निबंधनों एवं शर्तो के अध्यधीन रहते हुए और ऐसे प्ररूप में जो कि विहित किये जाएं, कपास बीज के विक्रय का व्यवसाय करने के लिए अनुज्ञप्ति जारी करेगा.

राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला.

७. राज्य सरकार, नियंत्रक के परामर्श से और अधिसूचना द्वारा,—

(क) एक या एक से अधिक राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकेगी या सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र की किसी बीज परीक्षण प्रयोगशाला को राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में घोषित कर सकेगी जहां कि विहित रीति में कपास बीज का विश्लेषण किया जाएगा;

(ख) एक या एक से अधिक बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को विहित रीति में परामर्श विश्लेषण के प्रयोजन के लिए परामर्श बीज परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी.

कृषकों को प्रतिकर.

८. (१) कपास बीज के उत्पादक या वितरक या विक्रेता, जिनका पता लेबल पर आया है, नियंत्रक को, दी गई शर्तो के अधीन ऐसे बीज के प्रत्याशित निष्पादन को प्रकट करेगा और यदि ऐसे बीज, ऐसे दी गई शर्तों के अधीन प्रत्याशित निष्पादन करने में असफल रहते हैं तो राज्य सरकार या कृषक ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, प्रतिकर का दावा कर सकेंगे और परानुवांशिक बीज के संबंध में सभी शर्तों, जो कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति द्वारा लागू की गई हैं, का अनुपालन किया जाएगा.

(२) यदि प्रत्याशित निष्पादन का दावा बनावटी पाया जाता है, तो ऐसे कपास बीज का प्रसंस्करणकर्ता, उपधारा (१) में यथाविनिर्दिष्ट सस्य विज्ञान कार्य से संबंधित ऐसे सभी दावों के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.

(३) उपधारा (१) और (२) के अधीन देय प्रतिकर, प्रत्येक कृषि जलवायु संबंधी परिक्षेत्र के लिए पृथक रूप से नियुक्त की गई फसल विशेषज्ञों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी समिति जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, द्वारा निर्धारित तथा नियत किया जाएगा.

बीज निरीक्षक.

९. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, बीज निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा वह क्षेत्र विनिर्दिष्ट करेगी जिसके भीतर वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा.

(२) बीज निरीक्षक, यदि उसके पास यह जानकारी है कि किसी व्यक्ति ने जो कपास के बीज का व्यवसाय करता है, नियंत्रक द्वारा जारी किन्हीं शर्तों का कोई उल्लंघन किया है या कपास बीज की गुणवत्ता में सन्देह करता है या कोई व्यक्ति कपास बीज के संबंध में अपराध करता है तो वह किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा नमूना (सेम्पल) लेगा और कपास बीज के भण्डार तथा अभिलेखों को निरूद्ध या अभिग्रहण करेगा तथा बीज विश्लेषक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् वह ऐसी समस्त कार्रवाई करेगा जैसी कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट है.

(३) प्रत्येक बीज निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा तथा शासकीय रूप से ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ होगा जिसे कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

बीज विश्लेषक.

१०. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जिसे वह उचित समझे, बीज विश्लेषक नियुक्त करेगी, और वह क्षेत्र विनिर्दिष्ट करेगी जिसके भीतर वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा.

११. (१) बीज विश्लेषक, बीज निरीक्षक से नमूने प्राप्त करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य बीज प्रयोगशाला में नमूने का विश्लेषण करवायेगा और विश्लेषण के परिणाम पर एक रिपोर्ट प्रयोगशाला को नमूने की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर बीज निरीक्षक को देगा. — बीज विश्लेषक की रिपोर्ट.

(२) बीज निरीक्षक, उपधारा (१) के अधीन बीज विश्लेषक की रिपोर्ट के आधार पर यथास्थिति, उक्त बीज के उत्पादक या विक्रेता पर अभियोजन की कार्यवाही संस्थित करेगा.

(३) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन संस्थित होने के पश्चात् यथास्थिति, अभियुक्त उत्पादक या विक्रेता या शिकायतकर्ता, विहित फीस का भुगतान करने पर बीज निरीक्षक के पास प्रतिधारित किसी नमूने को भेजने के लिए या मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार, उत्पादक या विक्रेता उसकी रिपोर्ट के लिए धारा ७ में निर्दिष्ट किसी प्रयोगशाला के लिए न्यायालय को आवेदन कर सकेगा, न्यायालय सर्वप्रथम यथाविहित चिन्ह या सील या कसाब को अभिनिश्चित करेगा और आवेदन के प्राप्त होने पर न्यायालय इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी निर्दिष्ट प्रयोगशाला को उसके स्वयं की सील के अधीन नमूने को भेज सकेगा, जो उस पर नमूने के प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर विश्लेषण का परिणाम विनिर्दिष्ट करते हुए विहित प्ररूप में अपनी रिपोर्ट न्यायालय को भेजेगा.

(४) उपधारा (३) के अधीन निर्दिष्ट प्रयोगशाला द्वारा भेजी गई रिपोर्ट, उपधारा (१) के अधीन बीज विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट को अतिष्ठित करेगी.

(५) जब उपधारा (३) के अधीन निर्दिष्ट प्रयोगशाला द्वारा भेजी गई रिपोर्ट किन्हीं कार्यवाहियों में प्रस्तुत की जाती है, तब विश्लेषण के लिए गये किसी ऐसे नमूने या उसके भाग को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा.

(१२) (१) राज्य सरकार, उत्पादन आदि जिसमें विशेष मूल्य सम्मिलित है की लागत तथा विभिन्न संबंधित ऐजेन्सियों (अभिकरणों) से प्राप्त संबंधित अन्य कारकों जहां कहीं आवश्यक हो, पर विचार करने के पश्चात् समस्त प्रकार के कपास बीजों का समय-समय पर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित कर सकेगी. — मूल्य नियत करने की शक्ति.

(२) इस प्रकार नियत किया गया अधिकतम विक्रय मूल्य राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी तारीख से प्रभावशील होगा जो कि उसमें विनिर्दिष्ट की जाए.

(१३) (१) यदि कोई व्यक्ति, धारा ४ के अधीन नियंत्रक द्वारा उसे जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह ऐसे कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा अथवा ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा. — शास्ति.

(२) कोई व्यक्ति जो मिथ्याछाप का अनुप्रमाणक (नकली) और अवमानक बीज के विक्रय करने का कृत्य करता है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा.

१४. यदि धारा ४ के अधीन नियंत्रक द्वारा जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति कम्पनी या अन्य निगमित निकाय है तो उसका प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या उसका अभिकर्ता, जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि उल्लंघन बिना उसकी जानकारी के हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन से बचने के लिए सम्यक् सावधानी बरती है, ऐसे उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा. — कम्पनियों द्वारा अपराध.

१५. कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का नियंत्रक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे अपराध के घटित होने के तथ्यों की लिखित रिपोर्ट के सिवाए संज्ञान नहीं लेगा. — अपराधों का संज्ञान.

१६. (१) धारा ४ के अधीन जारी किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति (जिसमें नियंत्रक सम्मिलित है) के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी. — सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

(२) धारा ४ के अधीन जारी किये गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी हानि या सम्भाव्य किसी हानि के संबंध में राज्य सरकार, नियंत्रक या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

अपील.

१७. (१) धारा ४ के अधीन नियंत्रक के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तारीख से जिसको विनिश्चय संसूचित किया गया है, तीस दिन के भीतर और ऐसी फीस जो विहित की जाए, का भुगतान करने पर ऐसे प्राधिकारी को, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त तीस दिन की कालावधि के अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से प्रविरत हो गया था.

(२) उपधारा (१) के अधीन अपील प्राप्त होने पर अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण यथासम्भव शीघ्रता से करेगा.

(३) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा.

कपास बीज का समपहरण.

१८. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी भी उपबंध के उल्लंघन के लिए जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वह कपास बीज जिसके संबंध में उल्लंघन किया गया है, राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा.

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.

१९. राज्य सरकार, नियंत्रक, बीज निरीक्षक या बीज विश्लेषक को ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो.

छूट.

२०. इस अधिनियम में की कोई बात, कृषक द्वारा उगाये गये या बेचे गए किसी कपास बीज या उसके द्वारा स्वयं के परिसर से किसी अन्य कृषक को रोपने के प्रयोजन के लिए उस कृषक को उपयोग किए जाने हेतु परिदत्त किया गया हो, लागू नहीं होगी.

नियम बनाने की शक्ति.

२१. (१) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बना सकेगी.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किये जा सकेंगे जिनका इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विहित किया जाना या नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो.

(३) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.

कठिनाई दूर करने की शक्ति.

२२. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु उपधारा (१) के अधीन कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख से दो वर्ष का अवसान होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(२) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बीज अधिनियम, १९६६ (केन्द्रीय अधिनियम १९६६ का ५४) के उपबंध, अधिसूचित किस्मों के संबंध में बीज की गुणवत्ता विनियमित करते हैं. विगत कुछ वर्षों से कृषि के तरीके विशिष्टतया बीज के उपयोग में सारवान परिवर्तन की दृष्टि से, उक्त उपबंध कपास की किस्मों, हाइब्रिड अनुसंधान आदि के लिए अपर्याप्त हो गए हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषकों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है.

२. आवश्यक वस्तु अधिनियम, १९५५ (१९५५ का १०) का हाल ही के संशोधन से अधिनियम की अनुसूची में से कपास को हटा दिया गया है. ऐसे व्यवसायी जो परानुवांशिक कपास बीज को सम्मिलित करते हुए कपास बीज के व्यापार में लगे हैं, संदिग्ध तरीके अपना रहे हैं और गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं, विशिष्टतया दुर्लभ प्रकार के कपास बीजों के संबंध में, बीज के मूल्य के बारे में, जो कृषि की प्रक्रिया में आवश्यक तथा महत्वपूर्ण लागत है अनुचित दबाब डाल रहे हैं जिसके कारण कई किसान ऋण के जाल में फंस जाते हैं और कई बार आत्महत्या भी कर लेते है. बहुराष्ट्रीय कम्पनियां दुर्लभ प्रकार के कपास बीज के संबंध में उनके एकाधिकार का असम्यक् लाभ उठा रही हैं.

३. कृषक बिरादरी के हित में और परानुवांशिक कपास बीज को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के कपास बीजों के निर्बाध प्रवाह प्रदाय, समान वितरण तथा मूल्यों के लिए यह समीचीन तथा आवश्यक है कि राष्ट्रीय बीज नीति, २००२ के सामंजस्य में कपास बीज विनियमन विधि लाई जाए.

४. विधेयक की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:—

(१) राज्य स्तर पर नियंत्रक को नियुक्त करना;

(२) बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित करना;

(३) अप्रमाणिक या निम्न गुणवत्ता के बीज के प्रदाय को कम करना;

(४) प्रभावी विनियामक पद्धति तैयार करना जिससे कपास बीज की प्रभावी गुणवत्ता, निश्चित प्रदाय, वितरण और उचित मूल्य को समर्थ बनाया जा सके;

(५) विधि के उपबंधों के उल्लंघन की दशा में दण्ड का उपबंध करना;

(६) निम्न गुणवत्ता के कपास बीज के प्रदाय की दशा में कृषकों को प्रतिकर के भुगतान हेतु पर्याप्त क्रिया विधि विनियमित करना;

(७) अनिवार्य डी.एन.ए. अंगुली छाप परीक्षण (डी.एन.ए फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट) या आनुवांशिक शुद्धता परीक्षण (जेनेटिक प्युरिटी टेस्ट) के माध्यम से परानुवांशिक और आनुवांशिक रूप से उपांतरित किस्मों के व्यापार को विनियमित करने के लिए विनियामक क्रिया विधि को लाना;

(८) राज्य में उत्पन्न तथा राज्य में आयात किए गए समस्त प्रकार के कपास बीज का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण.

५. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल:
तारीख: २२ जुलाई, २०१०.

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

खण्ड १ (३)	-	अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड ३	-	कपास बीज नियंत्रक के रूप में एक अधिकारी को नियुक्त किये जाने;
खण्ड ४	-	कपास बीज नियंत्रक की शक्तियां;
खण्ड ६ (१)	-	विक्रेता के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने हेतु प्ररूप विहित किये जाने;
(२)	-	अनुज्ञप्ति हेतु फीस एवं अन्य दस्तावेज विहित किये जाने
(४)	-	कपास बीज के विक्रय का व्यवसाय किये जाने हेतु अनुज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु प्ररूप विहित किये जाने
खण्ड ७	-	राज्य बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित किये जाने के संबंध में अधिसूचना जारी किये जाने तथा विहित रीति में कपास बीज का विश्लेषण किये जाने;
खण्ड ८ (१)	-	विहित रीति में प्रतिकर का दावा किये जाने;
(३)	-	फसल विशेषज्ञों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी समिति अधिसूचित किये जाने;
खण्ड ९ (१)	-	अधिसूचना द्वारा बीज निरीक्षक नियुक्त किये जाने एवं अधिकारिता के प्रयोग हेतु क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जाने;
(३)	-	बीज नियंत्रक हेतु प्राधिकारी विनिर्दिष्ट किये जाने;
खण्ड १०	-	अधिसूचना द्वारा बीज विश्लेषक नियुक्त किये जाने एवं अधिकारिता के प्रयोग हेतु क्षेत्र विनिर्दिष्ट किये जाने;
खण्ड ११ (३)	-	प्रतिधारित बीज के नमूने को बीज निरीक्षक के पास भेजने फीस विहित किये जाने तथा विहित प्ररूप में विश्लेषण का परिणाम भेजने;
खण्ड १२ (१)	-	समस्त प्रकार के कपास बीजों का समय-समय पर अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित किये जाने;
(२)	-	निर्धारित अधिकतम मूल्य प्रभावशील किये जाने की तिथि सुनिश्चित किये जाने;
खण्ड १७ (१)	-	अपील किये जाने की फीस तथा प्राधिकारी नियुक्त किये जाने;
खण्ड १९		बीज नियंत्रक, बीज निरीक्षक या बीज विश्लेषक को निदेश दिये जाने;
खण्ड २१ (१)		अधिसूचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित किये जाने;
खण्ड २२ (१)		अधिनियम के उपबंधों को प्रभावशील करने में होने वाली कठिनाई को दूर किये जाने;

के संबंध में राज्य सरकार नियम बना सकेगी, जो सामान्य स्वरूप के होंगे.

डॉ. ए. के. पयासी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010